



थाना-फतेहगंज पश्चिमी

बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 16.07.2025

थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा 117 ग्राम अवैध स्मैक सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-

थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रूकमपुर को जाने वाले पुराने रास्ते कस्बा फतेहगंज पश्चिमी से अभियुक्त मुराद अहमद पुत्र मौ0 नबी निवासी मौ0 सराय वार्ड नं0-13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 296/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का सारगर्भित विवरण:-

दिनांक 15.07.2025 को 30नि0 पुनीत मेहरा मय 30नि0 पंकज कुमार मय हमराही का0 3735 जितेन्द्र कुमार व का0 2745 लवी कुमार की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि ग्राम रूकमपुर को जाने वाले पुराने रास्ते पर एक व्यक्ति, जिसके पास अवैध स्मैक है सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को ग्राम रूकमपुर को जाने वाले पुराने रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मुराद अहमद पुत्र मौ0 नबी निवासी मौ0 सराय वार्ड नं0-13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली बताया जिसके कब्जे से 117 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह स्मैक मैं मोनिश पुत्र मैहरूद्दीन निवासी मौ0 अंसारी कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली व फैजान उर्फ राजाबाबू निवासी कस्बा फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली से कम दामो में खरीदकर, उसी स्मैक के मंहगे दामो को बेचकर कुछ मुनाफा कमा लेता हूँ।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 296/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

अभियुक्त मुराद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 029/2020 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
2. मु0अ0सं0 267/2022 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
3. मु0अ0सं0 265/2022 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
4. मु0अ0सं0 266/2022 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
5. मु0अ0सं0 296/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त मुराद अहमद पुत्र मौ0 नबी निवासी कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली, जिसकी, अभियुक्त करीब 10 वर्षों से कैण्टर व ड्राइवरी का काम करता है। अभियुक्त से अवैध स्मैक के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त द्वारा बताया कि साहब यह स्मैक मैं मोनिश पुत्र मैहरूद्दीन निवासी कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली व फैजान उर्फ राजाबाबू पुत्र उस्मान निवासी कस्बा फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली के पास से ली थी। साहब मैं दोनों की बातों में आ गया व स्मैक को मंहगे दामों में बेचकर कुछ मुनाफा कमाने के लालच में आ गया।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 117 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
2. 30नि0 श्री पुनीत मेहरा थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
3. 30नि0 श्री पंकज कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
4. कां0 3738 जितेन्द्र कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।
5. कां0 2745 लवी कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।